

उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद

474/1, जवाहर बाग, सिविल लाइन्स, मथुरा।

पत्रांक :- ५८८/ब्र.ती.वि.प./23-24,

दिनांक: २० अक्टूबर 2023

अल्पकालीन सार्वजनिक नीलामी हेतु विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा स्थित रेलवे ग्राउण्ड, धौलीप्याऊ में ब्रज रज उत्सव-2023 के आयोजन दिनांक 14.11.2023 से 27.11.2023 तक के लिए निम्नलिखित ठेका दिनांक 30.10.2023 को अपरान्ह 02.00 बजे से उ0प्र0 ब्रज विकास परिषद, मथुरा कार्यालय के सभागार में सार्वजनिक नीलामी द्वारा उठाये जायेंगे। ठेका सम्बन्धी सार्वजनिक नीलामी की शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्यालय में उपस्थित होकर सहायक अभियन्ता (सिविल) से प्राप्त की जा सकती है। सार्वजनिक नीलामी द्वारा उठाये जाने ठेके की बोली दिनांक 30.10.2023 को अपरान्ह 02.00 बजे से प्रारम्भ की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित शर्तों का पालन करते हुये सार्वजनिक नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी हेतु शर्तें www.upbtvp.in पर अथवा कार्यालय में देखी जा सकती हैं।

क्र०सं	ठेको का विवरण	सार्वजनिक नीलामी दिनांक / समय	ठेका उठाये जाने का माध्यम
1	ज्वाइंट क्लील हवाई झूला, नाव, ब्रेक डांस झूला, ड्रेगन ट्रेन व बच्चों के आइटम लगाने का कार्य। 1200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में।	दिनांक 30.10.2023 समय अपरान्ह 02.00 बजे प्रारम्भ	सार्वजनिक नीलामी द्वारा


20/10/23
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद,

ठेका तहबाजारी की सार्वजनिक नीलामी हेतु शर्ते

प्रस्तावित स्थल:-रेलवे ग्राउण्ड, धौलीप्याऊ, मथुरा।

- 1- नीलामी में भाग लेने से पूर्व नीलामी बोलीदाता को 200000.00 (दो लाख मात्र) बतौर जमानत धनराशि आर0टी0जी0एस/ डी0डी0 के माध्यम से जमा करनी होगी। जमानत धनराशि मेले की पूरी अवधि के लिए जमा होगी। जमानत धनराशि का नीलामी बोली की धनराशि में समायोजन नहीं होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज विकास परिषद, मथुरा की स्वीकृति उपरान्त मेला समाप्ति के बाद जमानत धनराशि ठेकेदार का वापस की जायेगी।
- 2- उच्चतम बोलीदाता को नीलाम की धनराशि दो किश्तों में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा करनी होगी।
- 3- उच्चतम नीलामी बोलीदाता ठेकेदार को नीलामी बोली की 1/2 धनराशि प्रथम किश्त के रूप में नीलामी बोली की तिथि के 03 दिन के अन्दर तत्काल जमा करनी होगी। नीलाम बोली की शेष 1/2 धनराशि किश्त के रूप में नीलामी बोली की तिथि से 07 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।
- 4- झूले स्थापित किये जाने हेतु दिया जाने वाला क्षेत्रफल लगभग 12000 वर्ग मीटर होगा। जिसके अन्तर्गत ज्वाइंट व्हील हवाई झूला, नाव, ब्रेक डांस झूला, ड्रेगन ट्रेन व बच्चों के आइटम जैसे बोनसी जम्पिंग व छोटी चकरी लगाने होंगे।
- 5- यदि उच्चतम नीलामी बोलीदाता नीलामी की धनराशि निर्धारित समय में जमा नहीं करता है तो उच्चतम नीलाम बोलीदाता की जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी और ठेका द्वितीय उच्च बोलीदाता को प्रदान कर दिया जायेगा।
- 6- उच्चतम नीलामी बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा का होगा।
- 7- ब्रज रज उत्सव-2023 में कोई भी अनुचित, अश्लील अथवा भड़काऊ प्रदर्शन वाले धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले अथवा अवैधानिक खेल तमाशा आदि तथा जोखिम वाले आइटमों का आयोजन नहीं किया जायेगा। ठेकेदार को सम्बन्धित विभागों जैसे-अग्निशमन, जिला मनोरजन कर, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग व जिला प्रशासन आदि से अनापत्ति-प्रमाण-पत्र मेला प्रारम्भ होने से पूर्व प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 8- मेला क्षेत्र में शराब, जुआ, सट्टा, अन्य मादक पदार्थ आदि की दुकान लगाना, विक्रय करना एवं सेवन करना या किसी आयोजन के दौरान नशे में रहकर शरीक होना पूर्णतः वर्जित होगा।
- 9- मेला आयोजन मंच सरकारी विभागों की स्टॉल/प्रदर्शनी आदि का क्षेत्र रिक्त होगा। मेला शिविर, सार्वजनिक मार्ग व सार्वजनिक स्थल आदि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।

- 10— ठेका तहबाजारी की न्यूनतम सरकारी नीलामी बोली समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी। नीलामी में जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित नहीं होगी। नीलामीदाता द्वारा लागू जी0एस0टी0 18 प्रतिशत की धनराशि उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा को करनी होगी।
- 11— ठेका तहबाजारी का क्षेत्र ब्रजरज उत्सव-2023 हेतु निर्धारित ग्राउण्ड रेलवे ग्राउण्ड, धौलीप्पाऊ मथुरा में होगा।
- 12— शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के ठेका निरस्त किया जा सकता है तथा ठेकेदार की जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं विधिक कार्यवाही भी प्रस्तावित हो सकती है।
- 13— उपरोक्त शर्तों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा की स्वीकृति के उपरान्त आवश्यक संशोधन किया जा सकता है।
- 14— झूले स्थापना का कार्य ले—आउट प्लान के अनुसार चयनित स्थल पर ही करना होगा।
- 15— किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय, मथुरा ही होगा।
- 16— ठेकेदार व उसके स्टाफ द्वारा अपने पहचान पत्र हर समय अपने पास रखना अनिवार्य होगा। ठेकेदार को कर्मियों के नामों की सूची व पहचान पत्रों की फोटोप्रति प्रभारी, मेला स्थल चौकी/थाना मथुरा को मेला प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्रस्तुत करनी होगी।
- 17— ठेकेदार को शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में दस रूपये के स्टाम्प पेपर पर अपना फोटोयुक्त नोटरी शपथ पत्र नीलामी के तत्काल पश्चात प्रस्तुत करना होगा।
- 18— नियमानुसार देय आयकर व अन्य शासकीय देयों/करों आदि का भुगतान स्वयं का ठेकेदार द्वारा पृथक से किया जायेगा।
- 19— ठेकेदार को अपने आधार कार्ड, पैनकार्ड व मतदाता पहचान पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 20— उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने/पाये जाने पर ठेका निरस्त होने की स्थिति में ठेकेदार स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद

20/10/23